बिन्दु–3

विनिश्चय की प्राकिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम :–

उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में आवेदक महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है। आवेदक अपने आवेदन इस आयोग के कार्यालय में फैक्स, ई–मेल, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा साधारण डाक से भेज सकते हैं अथवा आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। सभी प्रकार के आवेदन आयोग के कार्यालय में प्राप्त होने पर उन पर डाक प्राप्ति संख्या डाल दी जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय, सदस्य एवं सदस्य सचिव ऐसे आवेदनों पर प्रारम्भिक रूप से विचार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय लेते है।